सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 605 राँची ,सोमवार 26 कार्तिक 1936 (श०)

17 नवम्बर, 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

13 नवम्बर, 2014

विषय: संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मानदेय/पारिश्रमिक पर महँगाई भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में।

संख्या-6/एस-5 (भत्ता)-03/2011/3828/वि०--वित्त विभाग के पत्र संख्या 4569/वि॰, दिनांक 5 जुलाई, 2002 के द्वारा राज्य में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु एक विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत परिचारित है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2452/वि॰ दिनांक 26 नवम्बर, 2011 द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति में निम्न रूप से मासिक संविदा राशि एवं अन्य सुविधाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया था:-

(क) सेवानिवृत्त के समय प्राप्त मूल वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य नियत मासिक मानदेय की राशि अनुमान्य होगा।

(ख) उक्त नियत मानदेय राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर लागू महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी, जिन्हें सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जाता है और वे सरकार द्वारा आवंटित आवास में नहीं रहते हैं, तो उन्हें वर्गीकृत शहर के अनुसार नियत मासिक मानदेय पर आवास किराया भत्ता अनुमान्य होगा।

2. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3556, दिनांक 5 सितम्बर, 1991 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगी को निम्नांकित परिस्थितियों में नहीं किया जायेगा:-

(i) यदि वह राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हो।

(ii) यदि वह राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कम्पनी/निगम/उपक्रम स्वशासी निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक सहित) में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हो।

3. वित्त विभागीय पत्रांक 3556 दिनांक 5 सितम्बर, 1991 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2452/वि॰ दिनांक 26 नवम्बर, 2011 एक दूसरे के विरोधाभासी है, जिसके कारण संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मानदेय/पारिश्रमिक पर महँगाई भत्ता प्राप्त करने के संदर्भ में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषागार के अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इस विषय पर आपत्ति दर्ज की गयी है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मानदेय/पारिश्रमिक की राशि को निम्नरूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) पेंशनरों के पुनर्नियोजन के मामले में, चाहे वह संविदा पर नियत वेतन/मानदेय पर हो या नियमित वेतनमान पर हो, पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

(ii) विभागों/निगमों/प्राधिकारों/सोसाइटियाँ द्वारा पेंशनरों के पुनर्नियोजन की स्थिति में नियत मानदेय/वेतन की राशि इस प्रकार निर्धारित की जायेगी ताकि पुनर्नियोजन की अवधि में नियत वेतन और पेंशन की कुल रकम उस रकम से अधिक न हो, जो उसे सेवानिवृत्ति के ठीक पहले वेतन के रूप में कुल परिलब्धि (Total Emoluments) प्राप्त हो।

(iii) निगमों/सोसाईटियों द्वारा खुली प्रतियोगिता के आधार पर चयन और नियुक्ति होने की स्थिति में पद के लिए निर्धारित अन्य सुविधाएँ सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को दी जा सकती है।

(iv) सरकारी विभागों में नियमित वेतनमान में पुनर्नियोजन होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन में से मूल पेंशन (कम्युटेशन में निहित पेंशन राशि सहित) घटाकर मूल वेतन निर्धारित होगा और उसी पर महँगाई भत्ता स्वीकृत दरों पर भुगतेय होगा। इसके अतिरिक्त पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर अन्य भत्ते व सुविधाएँ दी जा सकेंगी, इन पर निर्णय पुनर्नियोजन के निर्णय के साथ ही साथ किया जाना चाहिए।

(v) सेवानिवृत्ति और पुनर्नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में पुनर्नियोजन हेतु वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में देय न्यूनतम वेतन में से पुनरीक्षित पेंशन की राशि घटाकर होगा।

(vi) उपर्युक्त उप कंडिकाओं (i) से (v) में प्रस्तावित निर्णय आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा और इसके आधार पर पूर्व के निर्णय/मामले Re-open नहीं किये जायेंगे परन्तु पूर्व से संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में ये नियम अक्षरशः लागू होंगे।

5. यह प्रावधान सेवानिवृत्त झारखण्ड राज्य के बोर्ड/निगम/निकाय कर्मियों के मामले पर भी लागू होगा, जिनकी पदसंरचना, वेतनमान एवं सेवाशर्त्त राज्य सरकार के कर्मी की तरह है।

6. पूर्व में निर्गत वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3556 दिनांक 5 सितम्बर, 1991 एवं पत्रांक 2452/वि॰, दिनांक 26 नवम्बर, 2011 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

7. यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3559/वि॰ दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 के क्रम में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 की बैठक के मद सं॰ 06 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 605–50 ।